



बाल विवाह और दहेज प्रथा को संबोधित करते हुए

बाल विवाह निषेद अधिकारी
के लिए मानक संचालन प्रक्रिया



बाल विवाह और दहेज को संबोधित करते हुए बाल विवाह निषेध अधिकारी के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया

सन्दर्भ

बिहार सरकार द्वारा अपनी पहल से राज्य में बाल विवाह और दहेज प्रथा का अंत करने के लिए विभिन्न सम्बंधित हितधारकों हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की जा रही है। इस मानक परिचालन प्रक्रिया के निर्माण का उद्देश्य राज्य समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत पूरे बिहार में कार्यरत अधिकारियों के लिए सामान्य सर्वमान्य हस्तक्षेप का तरीका प्रदान करना है। यह अपेक्षित है कि इसका उपयोग वे बाल विवाह या दहेज की घटना के संज्ञान में आने पर उसमें हस्तक्षेप करने और उसकी रोकथाम करने के लिए करेंगे। यह पुस्तिका हितधारकों को उनके अपनी परिस्थितियों में बाल विवाह और दहेज प्रथा के मूल कारणों को संबोधित करने में मदद करेगा।

समुदाय में प्रत्येक व्यक्ति – बच्चे, बड़े, पुरुष, स्त्री और नेता—हर कोई बाल विवाह एवं दहेज प्रथा को खत्म करने में मदद कर सकता। हमें उन तक पहुँचकर उनको बाल विवाह व दहेज के नकारात्मक प्रभावों के परिप्रेक्ष्य में संवेदनशील बनाने की जरूरत है, और उन्हें इस कुरीति का प्रतिरोध करने के लिए समझाने और प्रेरित करने की जरूरत है। दहेज निषेध अधिकारी, बाल विवाह निषेध अधिकारी और बाल कल्याण समिति के पास अपनी पद और प्रतिष्ठा (वाह्य परिवर्तनकारी कारक के रूप में) के चलते इस बात के लिए अनुकूल परिस्थिति होती है कि, वे समुदाय के सभी हिस्सों में जाकर बाल विवाह और दहेज के बुरे प्रभाव के बारे में और इनसे सम्बंधित लागू कानूनों और योजनाओं के बारे में लोगों को बताएं।

बाल विवाह निषेध अधिकारी

बाल विवाह – 18 वर्ष से कम आयु के लड़की और/या 21 वर्ष से कम आयु के लड़के की शादी न केवल कानून (बाल विवाह निषेध अधिनियम) के विरोध में जाता है, बल्कि यह मानवाधिकारों का भी उल्लंघन करता है। यह बच्चों (विशेष रूप से लड़कियों) के सभी प्रकार के विकास के लिए घातक है।

बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA), 2006, बाल विवाह निषेध अधिकारी (CMPO) की नियुक्ति का प्रावधान प्रदान करता है और यह बाल विवाहों के दर्ज मामलों या शिकायतों के निबटारे के लिए एक प्रक्रिया और तंत्र की भी स्थापना करता है।

बाल विवाह निषेध अधिकारी (CMPO) के रूप में, आप अपने जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं।

बाल विवाह निवारक गतिविधि / कार्रवाई

- CMPO के पास बाल विवाह से पूर्व उसमें हस्तक्षेप करने और बाल विवाह घटित हो जाने के बाद बच्चे के तरफ से याचिका दायर करने का अधिकार है।
- उन स्थानों की सूची बनाएं जहां बाल विवाह होता है, और विवाह मुहूर्त के समय इन स्थानों पर पुलिस की तैनाती सुनिश्चित कराएं।
- बच्चे को बाल विवाह के बारे में जागरूक करने के क्रम में उससे बात करने की कोशिश करें और बाल विवाह के उनपर होने वाले तमाम नकारात्मक असर के बारे में उसे बताएं। बच्चे को स्थिति समझने में मदद करें और उनसे बताएं कि शादी न करना उसका अधिकार है।
- माता-पिता को बाल विवाह के नकारात्मक प्रभावों के बारे में समझाने और उन्हें ऐसा न करने हेतु मनाने के लिए के लिए स्थानीय नेताओं, शिक्षकों, सरकारी अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों या स्थानीय गैर-सरकारी संगठन की सहायता लें और उनके साथ प्रत्येक 3 महीने में कम से कम एक बार मीटिंग करें। पंचायत के सदस्यों के साथ इस सम्बन्ध में प्रत्येक महीने मीटिंग करें और उसकी रिपोर्ट करें।

- **CMPO** होने के नाते आप अपने स्थानीय पंचायती राज सदस्यों से उनके क्षेत्र में होने वाले विवाहों का पंजीकरण करवाएं, और सुनिश्चित करें कि उस पंजीकरण में वर व वधु के आयु प्रमाण पत्र के रूप में उनका जन्म प्रमाण पत्र, विद्यालय परित्याग प्रमाणपत्र, आधार कार्ड या मेडिकल बोर्ड द्वारा दिया प्रमाणपत्र की कॉपी लगी हो। यह सभी दस्तावेज वहां के खंड विकास अधिकारी (BDO), सर्किल ऑफिसर या सरपंच से सत्यापित होने चाहिए ।
- खंड विकास अधिकारी (BDO) वहां के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) को निर्देश दे सकते हैं की वह उन बच्चों की सूची बनायें जिनके बाल विवाह होने की संभावना ज्यादा है।

तत्कालिक कार्रवाई / गतिविधि - यदि बाल विवाह हो रहा है

- अगर निकट भविष्य में कोई बाल विवाह होने वाला है, तो लड़का और लड़की दोनों के घर पर जाएं, उनके माता-पिता को बताएं बाल विवाह कानून के तहत एक दंडनीय अपराध है और उन्हें शादी नहीं करने की सलाह दें।
- अभिभावकों/रिश्तेदारों/समुदाय के वरिष्ठ लोगों से बाल विवाह करने से रोकने के लिए कहें, उन्हें जागरूक करें और बाल विवाह न करने देने के लिए उन्हें समझायें।
- पुलिस में शिकायत दर्ज करें और पुलिस की सहायता से अपराधी को गिरफ्तार करवाएं। पुलिस के पास भारतीय दंड संहिता की धारा 151 के तहत ये शक्तियां हैं कि वह एक संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए गिरफ्तारी की कार्रवाई करे।
- यदि माता-पिता शादी रोकने से मना करते हैं तो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करें और बाल विवाह को होने से रोकने के लिए धारा 13 के तहत आदेश प्राप्त करने की अपील करें ।
- विवाह के साक्ष्य (जैसे कि फोटो, निमंत्रण कार्ड, शादी के प्रयोजनों के लिए किए गए भुगतानों की प्राप्तियां इत्यादि) एकत्र करें।
- उन अपराधियों की सूची बनायें जो बाल विवाह की व्यवस्था करने, आयोजित करने, सहयोग करने, प्रोत्साहन देने या उसमें शामिल होने के लिए जिम्मेदार हैं ।
- पुलिस में शिकायत दर्ज करें और पुलिस की सहायता से अपराधियों को गिरफ्तार करायें। किसी भी संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए दंड संहिता की धारा 151 के तहत पुलिस के पास गिरफ्तारी का अधिकार है।
- अगर बच्चे के ऊपर बाल विवाह के लिए मजबूर करने, धमकी देने, उसको फंसाने का खतरा है, या बच्चे के जीवन को खतरा है, तो बच्चे को सहायता प्रदान करने और सुरक्षा मुहैया कराने के लिए उसे तत्काल बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।
- जहां बाल कल्याण समिति नहीं है वहाँ प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से समक्ष प्रस्तुत करें। बाल कल्याण समिति या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से समक्ष प्रस्तुत करने के समय तक उस बच्चे को राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बच्चों के घर / ड्रॉप-इन-सेंटर / अल्पकालिक घर में रखा जा सकता है ।
- एक बार बच्चों को बचाए जाने के बाद उन्हें चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता, परामर्श और पुनर्वास सहायता सहित सभी तरह की मदद सुनिश्चित करें ।

पुनर्वास उपाय / कार्य- यदि बच्चे का विवाह पहले ही हो चुका है ।

- विवाह के साक्ष्य एकत्र करें (जैसे कि फोटो, निमंत्रण, शादी के प्रत्यक्षदर्शी गवाह, तथा शादी प्रयोजन में किए गए भुगतानों की रशीदें) उन अपराधियों की सूची बनायें जो बाल विवाह की व्यवस्था करने, आयोजित करने, सहयोग करने, प्रोत्साहन देने या उसमें शामिल होने के लिए जिम्मेदार हैं ।
- पुलिस में शिकायत दर्ज करें और पुलिस की सहायता से अपराधियों को गिरफ्तार करायें ।

- याद रखें कि ऐसे अपराधों में शामिल महिलाएं भी अपराधी होती हैं, फिर भी इन मामलों में उन्हें कारावास से दंडित नहीं किया जा सकता है। इसलिए जहां आवश्यक हो वहाँ भी महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए, महिलाओं के उपर उनके अपराध के लिए जुर्माना लगाने का निर्णय केवल कोर्ट ले सकता है।
- बच्चे के छुड़ाने के तत्काल बाद या फिर 24 घंटे के भीतर उसे 'किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000' के तहत निकटतम बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करें।
- ऐसे समय तक बच्चे को राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बच्चों के घर / ड्रॉप-इनसेंटर / लघु अवधि घर में रखा जा सकता है।
- यदि बाल कल्याण समिति उपलब्ध नहीं है, तो बच्चे की सुरक्षा, देखभाल और संरक्षण के संबंध में उचित निर्णय लेने के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे प्रस्तुत करें। किसी भी स्थिति में बच्चे को एक पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि बच्चे को अलग-अलग अधिकारियों के सामने बार-बार बयान न देना पड़े, क्योंकि ऐसा करना बच्चे के लिए मानसिक तौर पर भी पीड़ित होने का कारण बनता है।
- सुनिश्चित करें कि बच्चे का अनुचित स्त्रीरोग सम्बन्धी परिक्षण और चिकित्सीय परीक्षण न हो, और उसका प्रत्येक परिक्षण उसे और उसके माता-पिता / अभिभावक / और उसके करीबी दोस्तों को बताकर और उनकी सहमति लेकर किया जाए।
- बच्चों को बचाए जाने के बाद उसको चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता, परामर्श और पुनर्वास सहायता सहित सभी तरह की सहायता सुनिश्चित करें।
- बच्चे को बार-बार अदालत में पेश न करें, जहां तक संभव हो दोनों साक्ष्य और क्रॉस-परीक्षण एक ही दिन में पूरा करायें।
- राज्य सरकार **CMPO** को विभिन्न कार्यों और क्रियाकलापों का निर्वहन आवंटित कर सकती है। **CMPO** को बुनियादी ढांचे की जरूरतों और अन्य प्रणालीगत जरूरतों का आकलन करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए, तब जाकर बाल विवाह के पीड़ितों के साथ न्याय और अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाना संभव हो सकेगा। इस प्रकार का कार्य तेजी से न्याय सुनिश्चित करने के लिए 'फास्ट ट्रैक कोर्ट' के गठन का समर्थन कर सकता है। यदि आवश्यक हो तो **CMPO** राज्य सरकार से 'फास्ट ट्रैक अदालतों' को स्थापित करने की बात कर सकता है।
- यदि कोई बच्चा उसके माता-पिता के साथ रहना जारी रखता है, तो उस बच्चे को देखने के लिए नियमित रूप से उसके घर पर जाना चाहिए। घर से बच्चे को हटाना बच्चे के सर्वोत्तम हित में अंतिम उपाय होना चाहिए।
- यदि आवश्यक हो तो बच्चे की आगे की (अनुवर्ती) सहायता के लिए स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों / सीबीओ को शामिल करें।
- बच्चे के साथ घटित किसी अन्य अपराध से सम्बंधित कानून धाराओं का भी अभियोग मामले में जरूर लगा हो, इसकी जांच कर लें।

अनुबंध बिहार का बाल विवाह निषेध नियम, 2010

8 मई 2010

सं० 10 / बाल विवाह 03, 2007-1014, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (2007 के क्रमांक 6) में दिए गए शक्ति के प्रयोग के लिए बिहार सरकार ने निम्न नियम बनाए हैं –

नियम

लघु शीर्षक, प्रभाव और आरम्भ :

- इन नियमों को बिहार बाल विवाह निषेध नियम, 2010 कहा जाएगा।
- यह पूरे बिहार में लागू होगा।
- यह अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रभाव में आ जायेगा।

परिभाषा : इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ की अन्यथा जरूरत न हो :-

- 'अधिनियम' का मतलब बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 (2007 का 6) से है।
- न्यायलय का मतलब अधिनियम में परिभाषित किये गए जिला न्यायलय से है।
- "पीड़ित व्यक्ति" का मतलब बाल विवाह के लिए शादी के दोनो पक्षकारों में से कोई भी।
- बाल कल्याण समिति का मतलब किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत गठित की गई समिति से है।
- "फॉर्म" का मतलब उस फॉर्म से है जो इन नियमों के साथ संलग्न है।
- बाल विवाह निषेध अधिकारी का मतलब एक ऐसे व्यक्ति से है, जो बिहार राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के धारा-16 के उपधारा (1) के तहत अधिसूचित है, जिसका उद्देश्य धारा-16 के उपधारा (3) में वर्णित कार्यों को पूरा करना है।
- जिन शब्दों का यहाँ उपयोग किया गया है उन्हें यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन उन शब्दों के अर्थ वही हैं जो अधिनियम में दिए गए हैं।
- याचिकाकर्ता धारा-3 के उपधारा (1) के अंतर्गत एक हुक्मनामे के द्वारा किसी बाल विवाह को रोकने के लिए याचिका न्यायालय में दायर कर सकता है, कि न्यायालय इसके लिए अपने न्याय प्रभुत्व का इस्तेमाल करे।
- न्यायालय जब अधिनियम के तहत अपने न्याय प्रभुत्व का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके पास सभी शक्तियां होंगी और सिविल प्रोसीजर कोड के प्रावधान, 1908 (1908 का क्रमांक 5) द्वारा अनुदेशित होगा।
- नगद, गहना सहित कोई भी साज-सामग्री या दिया गया सामान, जिनके वापस करने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जाएगा, वे सब पीठासीन अधिकारी के उपस्थिति में वापस होंगे।
- कोई भी नगदी या सामान वापस करने की प्रक्रिया सिविल प्रोसीजर कोड, 1908 (1908 का क्रमांक 5) के तहत हुकमीय आदेश से पूरी कराई जायेगी।
- अधिनियम के अनुच्छेद-4 के उपनियम (1) के तहत लड़की के गुजारा भत्ता के लिए न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार के नगद

या सामान को एकमुश्त वापस करने का कोई भी आदेश पारित होने के 30 दिन के भीतर उसे महिला पक्षकार को पीठासीन अधिकारी के उपस्थिति में देना होगा। यदि रखरखाव का भत्ता खर्चा प्रत्येक महीने देना है तो पुरुष पक्षकार को प्रत्येक महीने की 15 तारीख तक उसे दे देना होगा।

- यदि पुरुष पक्षकार कम उम्र का है या उसके गार्जियन महिला पक्षकार को रखरखाव का भत्ता दे पाने में असफल रह रहे हैं तो पीड़ित पक्षकार जिला न्यायालय में इसके सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र के जरिये अधिनियम के धारा (4) के उपधारा (1) के तहत शिकायत दर्ज करायेगा, आयर जिला न्यायालय क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1973 के अध्याय IX के अनुसार इसके सम्बन्ध में आदेश पारित करेगा।

न्यायालय द्वारा अधिनियम के धारा-5 के उपधारा (1) के तहत पारित किसी भी आदेश की एक प्रति बाल कल्याण समिति के पास जायेगी, जो यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चे को अधिकृत संरक्षक से समय-समय पर उचित देख-रेख व संरक्षण मिल रहा है।

ऐसी स्थिति में जहां दूसरा पक्षकार भी नाबालिग है, न्यायालय बच्चे के सर्वोत्तम हित में निर्णय लेने के लिए मामले को बाल कल्याण समिति को भेजेगा।

धारा-5 के उपधारा (4) के तहत पारित आदेश नियम 4 के उपनियम (2) के तहत कार्यान्वित किया जाएगा।

अधिनियम की धारा 7 के तहत पारित आदेश की प्रतियाँ दोनो पक्षकारों और बाल विवाह निषेध अधिकारी को दी जायेंगी।

- बाल विवाह उत्सव के आयोजन की जानकारी किसी भी व्यक्ति द्वारा बाल विवाह निषेध अधिकारी, ब्लाक डेवलपमेंट अधिकारी, पुलिस थाना, सरपंच या ग्राम पंचायत को मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या फिर मोबाइल इत्यादि से भेजा जा सकता है।
- बाल विवाह निषेध अधिकारी के अलावा यदि किसी भी अधिकारी को बाल विवाह समारोह के आयोजन की जानकारी मिलती है, तो वह उसके रिपोर्ट के साथ बाल विवाह निषेध अधिकारी को सूचना प्रदान करेंगे।
- जिला अधिकारी सभी या किसी एक थाने को आदेश दे सकता है कि सभी धार्मिक स्थानों पर निगरानी रखें, जहाँ बाल विवाह का आयोजन संभावित है, विशेषकर उन जगहों पर जहाँ एक ही साथ ढेर सारे बाल विवाह आयोजित हो सकते हैं।

बाल विवाह निषेध अधिकारी के कर्तव्य

अधिनियम के धारा-16 के उपधारा (3) में शीर्षक a से f तक लिखे गए कर्तव्यों के अलावा, बाल विवाह निषेध अधिकारी निम्न कर्तव्यों का निर्वहन करेगा-

अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्ति को, उसके सम्बन्धियों को व उसका साथ देने वाले लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बतायेगा।

राज्य कानूनी सहायता सेवा प्राधिकरण के जरिये पीड़िता की कानूनी सहायता सुनिश्चित करेगा।

पीड़ित व्यक्ति को शेल्टर होम के बारे में बताएगा और यदि जरूरी हुआ तो जब तक मामला कोर्ट में लंबित है तब तक पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शेल्टर होम की व्यवस्था करेगा।

पीड़िता को अधिनियम के अंतर्गत उसके साथ हुए जुर्म के सम्बन्ध में याचिका दाखिल करने में मदद करेगा।

अपने प्रभुत्व क्षेत्र में बाल विवाह समारोह के आयोजन पर निगरानी रखेगा और इस प्रकार की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए काम करेगा।

अनैतिक यातायात (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (1956 का 104) के तहत नियुक्त पुलिस अधिकारियों को सूचित करना कि किसी नाबालिग की शादी उनके जानकारी में आता है, तो निम्न के बारे में पता लगाएं -

- नाबालिग के विधिक गार्जियन को बहला फुसला कर लड़की को शादी के लिए ले जाया गया है अथवा
- शादी के लिए बल पूर्वक बाध्य किया गया है
- किसी स्थान पर जाने के लिए छल पूर्वक प्रेरित किया गया है अथवा
- शादी के लिए बेचा गया है या शादी के लिए लड़की के खरीद बिक्री को एक माध्यम के रूप में अपनाया गया है
- लड़की को शादी के समय या उसके बाद बेचा गया है या अनैतिक उद्देश्यों के लिए तस्करी की गयी है।

बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में लोगों को बताने और इसके प्रति उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए -

- जागरुकता अभियानों का आयोजन करना
- शैक्षणिक संस्थानों का दौरा करना
- स्थानीय निवासियों के साथ मीटिंग करना

मामले में जिला अधिकारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या मेट्रो पोलिटियन मजिस्ट्रेट के पास जमा किये गए जरूरी दस्तावेजों का फाइल बना कर उन्हें सुरक्षित रखना।

किसी एक पक्ष या दोनों पक्ष द्वारा प्रार्थना किये जाने पर शादी में दिये गए पैसों, उपहारों आदि की सूची बनाना, और शादी रद्द करने के सम्बन्ध में जिला न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान उस सूची को पेश करना।

बाल विवाह की घटना रिपोर्ट करना :-

- कोई भी व्यक्ति जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि बाल विवाह हो चुका है, हो रहा है या फिर होने वाला है, वह मौखिक, लिखित, फोन करने, ईमेल के जरिये उस क्षेत्र के बाल विवाह निषेध अधिकारी को सूचना दे सकता है।
- बाल विवाह हो चुका है, हो रहा है या फिर होने वाला है, के बारे में सूचना प्राप्त करने के बाद बाल विवाह निषेध अधिकारी फॉर्म-1 में एक बाल विवाह की घटना रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे न्यायालय में प्रस्तुत करेगा, तथा उस रिपोर्ट की दूसरी प्रति स्थानीय पुलिस थाना को भेजेगा।
- शिकायत में जो कुछ भी लिखा गया है उसके बावजूद बाल विवाह हो चुका है, हो रहा है अथवा होने वाला है कि शिकायत बाल विवाह अधिकारी इस आधार पर स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता है कि यह सूचना उसके कार्यक्षेत्र की नहीं है। वह शिकायत को रिकॉर्ड करेगा और तत्काल सम्बंधित बाल विवाह निषेध अधिकारी को भेजेगा। जिस बाल विवाह अधिकारी को यह सूचना भेजी जायगी वह तत्काल फॉर्म-1 में इस सूचना को दर्ज करेगा।
- बाल विवाह निषेध अधिकारी शिकायतकर्ता को निःशुल्क बाल विवाह दृष्टान्त रिपोर्ट प्रदान करेगा।

आदेशनुसार बिहार सरकार
संयुक्त सचिव

बिहार गजट (असाधारण), 11 मई 2010

फॉर्म-1 (नियम 11)

बाल विवाह दृष्टान्त रिपोर्ट

विवाह रिकॉर्ड रजिस्टर सं०दिनांक

गाँव/वार्ड सं० और नाम	ग्राम पंचायत/ब्लाक/नगरपालिका परिषद्	विकास खंड	जिला

1. बाल विवाह के नाबालिग लड़के का नाम व उम्र
2. बाल विवाह के नाबालिग लड़के के पिता का नाम
3. बाल विवाह के नाबालिग लड़के के माता का नाम
4. बाल विवाह के नाबालिग लड़के का पता व फोन नंबर
5. बाल विवाह के नाबालिग लड़की का नाम व उम्र
6. बाल विवाह के नाबालिग लड़की के पिता का नाम
7. बाल विवाह के नाबालिग लड़की के माता का नाम
8. बाल विवाह के नाबालिग लड़की का पता व फोन नंबर
9. शादी की तिथि
10. शादी का स्थान
11. जहाँ शिकायत दर्ज है उस थाने का नाम
12. एफ. आई. आर. संख्या

आदेश जिन्हें बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त करने की जरूरत है-

क्र. सं०	आदेश	हाँ/नहीं	अन्य आदेश
1	2	3	4
1	धारा 13 के अंतर्गत प्रतिबंध निषेधाज्ञा		
2	धारा 3 के तहत रद्दीकरण आदेश		
3	धारा 4(4) के तहत निवास आदेश		
4	धारा 4(1) के तहत गुजरा भत्ता का आदेश		
5	धारा 5 के तहत संरक्षण आदेश		
6	अन्य आदेश		

बिहार गजट असाधारण, 11 मई 2010

इसके द्वारा कहा जा रहा है कि श्री का बाल विवाह (पुरुष पक्षकार के लिए) पुत्रनिवासी
..... और श्रीमती(महिला पक्षकार के लिए) पुत्री श्री.....
..निवासीका उत्सव स्थानपर दिनांककाया
लय में बाल विवाह रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज हुआ.

बाल विवाह निषेध अधिकारी के मुहर

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित
बिहार गजट (असाधारण), 313-571, 2000-डी0टी0पी0!
वेबसाइट: <http://egazette-bih-nic-in>

